न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास– दिनेश कुमार यादव, जिला कलक्टर,नागौर

रसद मामला संख्या– 84/2013 (84/2008)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये कंवराराम प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय नागौर		1. नारायणराम पुत्र चांदमल भाटी निवासी नया दरवाजा, नागौर 2. हनुमानराम पुत्र चांदमल भाटी निवासी माही दरवाजा, नागौर 3. गौतम पुत्र जगदीश गहलोत बेजला कुआं नया दरवाजा नागौर (ट्रेक्टर ड्राईवर) 4. सत्यनारायण पुत्र रामजीवण निवासी बडली जिला नागौर (ट्रेक्टर मालिक)

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी श्री रामजीवन बेनीवाल ।
2. अप्रार्थी संख्या–1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामकुमार व्यास एवं अप्रार्थी संख्या–4 की ओर अधिवक्ता श्री गोविन्दप्रकाश सोनी।

निर्णय दिनांक– 03-10-19

प्रकरण में प्रार्थी ने जब्तसुदा गेहूँ नग 108 वजन 53.70 क्विंटल मय बारदाना एंव ट्रेक्टर मय ट्रोली को धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत् समपहरित (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एंव गेहूँ वर्षा ऋतु में जल्दी खराब होता है तथा कट्टो पर वक्त कार्यवाही खुपरिया (गेहूँ को लगने वाले कीडे) लगा हुआ था जिससे गेहूँ खराब होने की संभावना व्यक्त करते हुए धारा 6 ए (2) में अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र रसद मामला संख्या–84/2008 दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा सीज सुदा गेहूँ नग 108 कट्टे वजन 53.70 क्विंटल मय बारदाना वक्त कार्यवाही खुपरिया (गेहूँ को लगने वाले कीडे) लगा हुआ होने व वर्षा ऋतु में जल्दी खराब होने की संभावना होने से उचित मूल्य के माध्यम से नियमानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उपभोक्ताओं में वितरण करवाया जाकर प्राप्त रकम राजकीय कोष में अन्तरिम रूप से जमा करवाये जाने के आदेश पारित किये गये। अप्रार्थी संख्या 4 ने दिनांक 16.07.2008 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ट्रेक्टर आरजे 21 आर 7683 मय ट्रोली का रजिस्टर्ड स्वामी होने से जमानतनामा पर सुपुर्दगी दिये जाने बाबत निवेदन किया। जिस पर अप्रार्थी संख्या–4 के अधिवक्ता व प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक की सुनवाई की गई तथा जब्तशुदा उक्त ट्रेक्टर मय ट्रोली के संबंध में अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा एक लाख रूपये की बैंक गारन्टी प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी संख्या–4 को सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पर अंतरिम रूप से छोड़े जाने का आदेश किया गया। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी संख्या–4 द्वारा न्यायालय श्रीमान् सेशन न्यायाधीश मेड़ता के यहां फौजदारी अपील संख्या 51/08 प्रस्तुत की, जिसमें श्रीमान् जिला एंव सेशन न्यायाधीश मेडता के निर्णय दिनांक 23.07.2008 द्वारा बैंक गारन्टी को संशोधित कर सोलवेंट सिक्योरिटी के आदेश दिये। वकील अप्रार्थी संख्या–4 द्वारा दिनांक 26.07.08 को श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश मेड़ता के निर्णय दिनांक 23.07.08 की पालना में जमानत व सुपुर्दगीनामा पर सीज सुदा ट्रेक्टर मय ट्रोली को रिलीज किये जाने के आदेश हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर जिला रसद अधिकारी नागौर को जमानतनामा व सुपुर्दगीनामो पर अप्रार्थी संख्या–4(ट्रेक्टर मालिक) प्रदान किये गये। तत्पश्चात प्रकरण में बहस अंतिम सुनी जाकर इस न्यायालय द्वारा 25.05.2009 को निर्णय पारित किया गया। उक्त प्रकरण रसद मामला संख्या 84/2008 में पारित निर्णय दिनांक 25.05.2009 के विरूद्ध गौतम पुत्र जगदीश जाति माली व सत्यनारायण पुत्र रामजीवण जाति माली द्वारा फौजदारी अपील संख्या 38/2009 व हनुमानराम पुत्र राधाकिशन जाति माली द्वारा फौजदारी अपील संख्या 39/2009 माननीय जिला एवं सेशन न्यायालय मेड़ता में प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय मेड़ता ने संयुक्त रूप से दिनांक 20.03.2010 को उक्त दोनों अपीले स्वीकार कर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.05.2009 को अपास्त किया जाकर मामले में पुनः विधि सम्मत जॉच कर निर्णय पारित करने हेतु इस

कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

न्यायालय को निर्देशित करते हुऐ प्रतिप्रेषित किया। माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश मेड़ता के उक्त निर्णय 20.03.2010 की पालना में मामला पुनः नम्बर पर दर्ज किया जाकर रसद मामला संख्या–84/2013 पर दर्ज किया गया। प्रकरण में साक्ष्य प्रार्थी में गवाह कंवराराम प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय नागौर, भगवती प्रसाद पुत्र श्री रामाकिशन साद निवासी बाड़ी कुआं नागौर व सोहनलाल पुत्र रामवलभ भाटी निवासी नया दरवाजा नागौर के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये, जिसमें गवाह भगवती प्रसाद के शपथ पत्र पर वकील अप्रार्थीगण द्वारा जिरह की गई है। साक्ष्य प्रार्थी में जिरह हेतु प्रार्थी द्वारा गवाह प्रस्तुत एवं बकाया साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थी को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी गवाह पेश नहीं करने पर साक्ष्य प्रार्थी बंद की गई। एवं प्रकरण साक्ष्य अप्रार्थी में नियत किया गया. वकील अप्रार्थीगण ने अप्रार्थी साक्ष्य में गवाह व शपथ पत्र पेश नहीं करने का निवेदन करते हुऐ पत्रावली बहस अंतिम हेतु नियत करने का निवेदन किया गया।

प्रकरण में वकील अप्रार्थी संख्या–2 ने श्री हनुमान कच्छावा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 457 सीआरपीसी पर कथन किया कि प्रार्थी हुनमान कच्छावा ग्राम कडलू का स्थाई निवासी है, जहां पर प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 130 बीघा रकबा 37 बीघा 17 बिस्वा का स्थित है, जिसमें रकबा 13 बीघा में रायड़ा, 12 बीघा में गेहूँ तथा 2 बीघा में मैथी तथा 10 बीघा में सौंप की काश्त संवत् 2064 में की थी, जो जो गेहूँ प्रार्थी हनुमानराम के घर पर सुरक्षित पड़े थे। जिनको विक्रय करने हेतु दिनांक 24.06.2008 को रात्रि में ट्रेक्टर नागौर से गौतम गहलोत से मंगवाया, क्योंकि गांव में खेती में लगे होने से ट्रेक्टर नहीं मिले थे। उक्त गैहूँ को नागौर से मंगवाये गये 108 कट्टों में लगभग 54 क्विंटल भर कर सूतली से बंद करवा कर ट्रेक्टर में लोडिंग कर नागौर में माही दरवाजा मण्डी में विक्रय हेतु प्रार्थी हनुमान कच्छावा ने रवाना किया। दिनांक 25.06.2008 को सुबह 6 बजे ट्रेक्टर चालक गौतम के पिताजी जगदीश जी का टेलीफोन आया कि नागौर माही–दरवाजा पर प्रवर्तन निरीक्षक रसद विभाग ने जॉच हेतु ट्रेक्टर कब्जे में ले लिया था, तब प्रार्थी हनुमान कच्छावा तुरन्त नागौर पहूँचा एवं जगदीश जी गहलोत को साथ लेकर कंवराराम प्रवर्तन निरीक्षक से मिला उन्होने कहा कि आपका गेहूँ राशन के गेहूँ जैसा प्रतीत हो रहा है। इसलिए जॉच हेतु आपके गेहूँ को कब्जे में लिए एवं बाद जॉच आपके गेहूँ राशन के नहीं पाये गये तो उक्त गेहूँ आपको सुपुर्द कर देंगें। दिनांक 2.7.2008 को प्रार्थी हनुमानराम कच्छावा प्रवर्तन निरीक्षक से मिला तो उन्होने कहा कि अभी जॉच नहीं हुई है। जॉच रिपोर्ट दो चार दिन में आने पर आप मिलना। दुबारा दिनांक 09.07.2008 को उनसे मिलने पर उन्होने कहा कि आपके गेहूँ तो कलक्टर साहब के पास है। कलक्टर साहब ने विक्रय करने के आदेश करने से आप उनके समक्ष ही कार्यवाही करो। इस कारण प्रार्थी ने यह आवेदन न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया है। प्रवर्तन निरीक्षक कंवराराम ने प्रार्थी हनुमान कच्छावा की गेहूँ कि फसल को जब्त किया वह ग्राम कडलू में उसकी खातेदारी के खेत में काश्त की हुई थी, उसी फसल के है। जिसे जब्त करने का प्रवर्तन निरीक्षक को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। परन्तु उन्होने बिना किसी सबूत दस्तावेज के राशि के गेहूँ होना बताकर प्रार्थी हनुमान कच्छावा को नाजायज रूप से आर्थिक हानि पहुचाई जाने का कथन करते हुऐ उक्त प्रकरण में प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जब्तशुदा गेहूँ 53.70 क्विंटल वापिस दिलाने अन्यथा इनकी बाजारू कीमत बाजार दर से प्रार्थी हनुमान कच्छावा को दिलाने का निवेदन किया। प्रवर्तन अधिकारी श्री रामजीवन बेनीवाल ने उक्त बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया कि जब्तशुदा गेहूँ के कट्टों पर एफ.सी.आई. का मार्का अंकित है। गेहूँ के कट्टों की सिलाई खुलवाकर सुतली से पुनः सिलाई करवाई गई है। कुछ कट्टों पर मशीन की सिलाई का लाल रंग का धागा जुड़ा हुआ पाया गया है। वक्त जॉच जब्तशुदा गेहूँ की कार्यवाही में मौतबिरान व्यक्तियों के सामने अप्रार्थी संख्या 3 ने गेहूँ को अप्रार्थी संख्या 1 का होना बताया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूँ होने से प्रार्थी हनुमान कच्छावा का प्रार्थना पत्र बिना कोई ठोस सबूत एवं तथ्यों पर आधारित होने से खारिज करने का निवेदन किया। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 25.06.08 को मौके पर जॉच रिपोर्ट के आधार प्रार्थी हनुमान कच्छावा के संबंध में अप्रार्थी संख्या–3 ने किसी प्रकार का कोई तथ्य व बयान में नहीं बताया है। अप्रार्थी संख्या–3 द्वारा वक्त जॉच कार्यवाही बयान में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ट्रेक्टर ट्रोली में गेहूं के कट्टों को नागौर लाने का किराया तय करना बताया है। प्रार्थी हनुमान कच्छावा द्वारा भी ऐसी कोई ठोस विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कि है, जिसके आधार पर उक्त जब्तशुदा गेहूँ प्रार्थी हनुमान कच्छावा के होना साबित करते हो। इसलिए प्रार्थी हनुमान कच्छावा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 15.07.2008 सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

उभय पक्ष की प्रार्थी के प्रार्थना अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम पर बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से श्री रामजीवन बेनीवाल ने बहस में कथन किया कि दिनांक 25.06.2008 को 2 ए.एम.

कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

पर मुखबिर से प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक को सूचना मिली कि गांव कडलू से राशन का गेहूं एक ट्रेक्टर ट्रोली में भरकर नागौर कालाबाजारी में बेचने हेतु लाया जा रहा है। अतः मुखबिर की सूचना के मुताबिक पुलिस थाना कोतवाली से सम्पर्क कर पुलिस जाब्ता लेकर माही दरवाजा के पास 3 ए.एम. से 4 ए.एम. तक नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान 4 ए.एम. पर एक ट्रेक्टर लाल रंग का जिसके पिछे ट्रोली में कट्टे भरे हुए आता हुआ दिखाई दिया। माही दरवाजा में नारायणराम भाटी के गोदाम के पास ट्रेक्टर को इशारा करके रूकवाया गया तथा ड्राईवर से पुछताछ करने पर अपना नाम गौतम पुत्र श्री जगदीश गहलोत बताया एंव बताया कि यह ट्रेक्टर मेरा है तथा किराये पर चलाता हूँ।

ट्रेक्टर ड्राईवर से गेहूं के बारे में पुछताछ करने पर बताया कि दिनांक 24.06.2008 को श्री नारायण पुत्र श्री चान्दमल भाटी ने गांव कडलू से गेहूँ लाने के लिये 1,000/– रूपये (एक हजार रूपये) किराये में तय किया। मै ट्रेक्टर व मजदूरों को लेकर नागौर से रवाना होकर 8.00 बजे रात्रि को कडलू गांव पहुंचे। कडलू गांव में हनुमानराम पुत्र चांदमल भाटी पहले ही मोटरसाईकिल से पहुंच चुका था जो नारायणराम का भाई है। हनुमानराम ने हमे कडलू गांव में एक पुराने मकान पर लेकर गया जिसके एक कमरें में गेहूँ रखे हुए थे। ड्राईवर गौतम ने बताया कि हनुमानराम पुत्र चांदमल भाटी ने गेहूँ के कट्टे को कमरे में देखा तो उसमें मशीन से धागे की सिलाई थी। अतः हनुमानराम ने मशीन सिलाई को काटकर मजदूरों से दुबारा सुतली से हाथ की सिलाई करवाई। मजदूरों ने कुल 108 कट्टो को तोलकर ट्रेक्टर ट्रोली में भरे। ट्रेक्टर ट्रोली को लेकर हम कडलू से नागौर 4 ए.एम. पर माही दरवाजा पहुंचे। जिसे प्रर्वतक निरीक्षक एंव पुलिस जाप्ता ने रोककर जांच की। वक्त जांच ट्रेक्टर के साथ काम करने गये मजदूरों से पुछताछ करने पर मजदूर श्री भंवरलाल पुत्र भींयाराम नायक, पुरखाराम पुत्र सोनाराम नायक, सुखाराम पुत्र भींयाराम नायक ने बताया कि हम मजदूरी का काम करते है तथा दिनांक 24.06.2008 को नारायणराम ने हमे कहा कि मैने कडलू गांव में गेहूँ खरीदे है यदि तुम गेहूँ भरवाने जाते हो तो गेहूँ तुलाई, भराई, उतराई के 6/–रूपया प्रति नग दिया जायेगा। अतः हम गेहूँ भरवाने ट्रेक्टर के साथ गये। गेहूँ गोदाम में धागे से मशीन सिलाई किये रखे हुए थे जिन्हे हनुमानराम ने काटकर दुबारा सुतली की हाथ से सिलाई हम मजदूरों से करवाई थी। हमने 108 कट्टे तोलकर ट्रेक्टर ट्रोली में भरे जिसे गौतम पुत्र जगदीश यहां लेकर आया है।

ट्रेक्टर ट्रोली की जांच करने पर उसमें गेहूँ भरे हुए कट्टे पाये गये जिनकी सिलाई सुतली हाथ से की हुई थी। गेहूँ के कट्टो पर एफसीआई का मार्का अंकित पाया गया। कट्टो में से गेहूँ निकालकर जांच करने पर गेहूँ 3043 पंजाब हरियाणा की पैदावार होना पाया गया। 3043 गेहूँ जो पंजाब हरियाणा का उत्पाद है वर्तमान में एफसीआई नागौर से उचित मूल्य दुकानों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् आंवटित किया जाता है। इस प्रकार अवैध रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् वितरित किये जाने वाले गेहूँ को कालाबाजारी में बेचने हेतु ले जाना, राजस्थान खाद्यान्न एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 3 (2) का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत् दण्डनीय अपराध होने के कारण 108 कट्टे गेहूँ के भरे हुए वजन 53.70 क्विंटल मय बारदाना, एक ट्रेक्टर आर.जे. 21 आर 7683 एंव ट्रोली को जब्त सरकार किया जाकर सुरक्षा हेतु गेहूँ भंवरलाल बांगडा सेल्समैन नागौर को0मा0सा0लि0 नागौर एंव ट्रेक्टर मय ट्रोली पुलिस थाना कोतवाली को सुपुर्दगी में दिये जाने का कथन करते हुए उक्त जब्तसुदा गेहूँ नग 108 वजन 53.70 क्विंटल मय बारदाना एंव ट्रेक्टर मय ट्रोली को धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत् समपहरित (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से बहस में प्रार्थी की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया कि अप्रार्थी ने गांव कडलू से कोई गेहूँ नहीं मंगवाये एवं न ही ट्रेक्टर किराए किया है। प्रवर्तन निरीक्षक ने गेहूँ कब जप्त किए व उक्त गेहूँ किसके थे इस बाबत कभी कोई जानकारी नहीं है। अप्रार्थी को इस प्रकरण में गलत रूप से पक्षकार जोड़कर नाजायज रूप से परेशान किये जाने का कथन करते हुऐ कार्यवाही ड्रोप करने का निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से बहस में प्रार्थी की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित ट्रेक्टर एवं मजदूरी अप्रार्थी को नहीं है तथा कडलू गांव में मोटर साईकल से पहूँचने की बात तथा किसी गौतम को पुराने मकान पर ले जाने की बात गलत है। अप्रार्थी का कडलू गांव जाना अस्वीकार है, इसलिए कट्टों की सिलाई खुलवाकर सुतली से सिलाई करवाने की बात सर्वथा गलत है। मजदूरों द्वारा अप्रार्थी के कहने पर दुबारा सुतली से सिलाई की बात भी गलत है। इस प्रकरण में ट्रेक्टर, गेहूं, कट्टो एवं गांव कड़लू से अप्रार्थी का कोई संबंध नहीं है। प्रवर्तन

कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

निरीक्षक ने अप्रार्थी को जानबूझकर किसी अवैध लाभ हेतु अप्रार्थी को पक्षकार बनाया है तथा मानसिक रूप से आर्थिक रूप से परेशान किये जाने का कथन करते हुऐ अप्रार्थी के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं होने से अप्रार्थी को गलत रूप से पक्षकार बनाया जाने का कथन करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या–3 की ओर से बहस में प्रार्थी की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया कि ट्रेक्टर माही दरवाजा में नारायण भाटी के गोदाम के पास नहीं रूकवाया बल्कि माही दरवाजा पुलिस चौकी के पास रूकवाया था। यह गलत है कि अप्रार्थी ने पुछताछ में दिनांक 24.08.08 को नारायणराम द्वारा कड़लू गांव से गेहूं लाने के लिए 1000/–रूपये किराया तय करना बताया हो। यह गलत है कि अप्रार्थी सांय 4 बजे नागौर से रवाना होकर 8 बजे कड़लू गांव पहुंचा क्योंकि नागौर से कड़लू का रास्ता ट्रेक्टर से मात्र एक घण्टे का है। यह गलत है कि कड़लू गांव में हनुमानराम पहुंच चुका हो बल्कि वो कड़लू आए ही नहीं थे न ही हड़मानराम अप्रार्थी को कहीं ले गया। अप्रार्थी द्वारा लाए गए गेहूं हनुमान पुत्र राधाकिशन जी कच्छावा निवासी कड़लू के थे। प्रवर्तन निरीक्षक ने किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की बल्कि ये कहा था कि उक्त कट्टों में भरे गेहूं मुझे राशन के गेहूं होना प्रतीत हो रहे है इसलिए मैं इनकी जांच कराउंगा एवं यदि गेहूं राशन के नहीं हुए तो 5–7 दिन में वापस लौटा देंगे। उक्त जब्त किए गए गेहूं हनुमान पुत्र राधाकिशन कच्छावा के थे जो उन्होंने विक्रय हेतू अप्रार्थी को नागौर ले जाने का कहा गया था। गेहूं राशन के नहीं थे। न ही किसी प्रकार की कालाबाजारी की जा रही थी। दिनांक 24.06.08 को मनोहर पुत्र हनुमान कच्छावा निवासी कड़लू ने रात के दस बजे अप्रार्थी के घर आया एवं कहा कि कड़लू में अप्रार्थी के घर से गेहूं नागौर बेचने हेतु लाने है जो भाड़ा क्या होगा तो मैंने रुपये 1500/– बताया जो मनोहर ने 1300/– रुपये भाड़ा देना स्वीकार करने पर उसके साथ ही तुरंत कड़लू के लिए रवाना हो गया व नागौर से 27 किमी. दूर कड़लू एक घण्टा में पंहुच गया फिर वहां हनुमानराम कच्छावा के घर से गेहूं के कट्टे जो ट्रैक्टर ट्रोली में भरे वह रात्री करीब एक बजे कड़लू से रवाना हुआ तथा हनुमान ने अप्रार्थी को कहा कि नागौर माही दरवाजा मण्डी पहुंच जाओ मैं सुबह मण्डी खुलते ही पहुंच जाउंगा। 2.30 बजे माही दरवाजा नागौर मण्डी पहुंचा ही था कि उस समय पुलिस की गश्त की गाड़ी आयी उन्होंने अप्रार्थी के कट्टों में क्या है, पूछा तो अप्रार्थी ने कहा कि गेहूं है तब वह चले गए। करीब डेढ़ घण्टे बाद पुलिस वाले कंवराराम प्रवर्तन निरीक्षक को लेकर आए। कंवराराम ने गेहूं के कट्टों को खालेकर देखा अप्रार्थी ने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि हम यह गेहूं चैक करेंगे तब उन्होने राशन के कट्टो में गेंहू भरे हुए होना देखकर अप्रार्थी को कहा की गेंहू की जांच कराएंगे इसलिए गेहूं एवं ट्रैक्टर ट्रौली जब्त करेंगे। तब अप्रार्थी ने हनुमानराम कच्छावा कड़लू के यहा से गेहूं लाना बताया एवं उनको शीघ्र आने का कहा परंतु नहीं माने अप्रार्थी ट्रैक्टर शीघ्र थाने लेकर चलने का कहा थाने में अप्रार्थी से 3–4 खाले पेपर पर पुलिस वाले एवं कंवराराम ने हस्ताक्षर करवा लिए थोड़ी देर बाद हनुमानराम कच्छावा एवं अप्रार्थी के पिता के साथ आ गए उन्होंने कहा कि उक्त गेहूं अप्रार्थी के ट्यूबवेल से लाए गए है तब कंवराराम ने कहा कि इन गेहूं की जांच कराऐंगे एवं राशन के नहीं निकले तो 5–7 दिन में उक्त गेंहू अप्रार्थी को वापिस दे देंगे तब अप्रार्थी वापिस घर आ जाने का कथन करते हुए अप्रार्थी के विरुद्व कार्यवाही हाजा ड्रॉप करने का निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या–4 की ओर से बहस में प्रार्थी की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया कि ट्रैक्टर संख्या आर जे.21 आर–7683 एवं ट्रोली का 5–6 वर्ष पूर्व मालीक अवश्य था परन्तु अप्रार्थी ने उक्त ट्रैक्टर गौतम को विक्रय कर दिया था नाम अन्तरण नहीं हुआ था परन्तु पिछले 5–6 वर्ष से उक्त ट्रैक्टर को देख तक नहीं है इसलिए अप्रार्थी उक्त ट्रैक्टर से सम्बन्धित नहीं होने से उसे पक्षकार ही गलत बनाया गया है। अप्रार्थी को झूठा एवं गलत बदयान्ती से पक्षकार बनाये जाने का कथन करते हुए अप्रार्थी के विरु कार्यवाही ड्रॉप करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली उपलब्ध फर्द जब्ती दिनांक 25.06.2008 जो अप्रार्थीगण, रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक मय पुलिस जाब्ता एवं मौतबिरान भंवरलाल, सुखाराम, सोहनलाल, पुरखाराम व भगवती प्रसाद निवासीगण नागौर के समक्ष तैयार की जाकर फर्द पर उनके हस्ताक्षर भी किये हुऐ है। जिसके अनुसार वक्त निरीक्षण जॉच कार्यवाही में मौके पर पाये गये जब्त शुदा 108 गेहूँ के कट्टे जिनका वजन 53.70 क्विंटल है के संबंध में अप्रार्थी संख्या–3 द्वारा बताया गया कि उसके ट्रैक्टर को दिनांक 24.06.08 को अप्रार्थी संख्या 1 नारायणराम द्वारा ग्राम कड़लू से नागौर गेहूं लाने के लिए 1000/–रूपये (एक हजार रूपये) में तय किया। तब वह ट्रेक्टर एवं मजदूरों को लेकर 4 पी.एम. पर सांय नागौर से रवाना होकर 8पी.एम. पर

Scanned by CamScanner

गावं कडलूॅ पहूॅचे, जहां पर हनुमानराम अप्रार्थी संख्या 2 पहले से ही मोटरसाईकल से पहूॅच चुका था, जो नारायणराम का भाई है। ग्राम कडलू में अप्रार्थी संख्या–2 हनुमानराम एक पुराने मकान में लेकर गया जिसमें गेहूॅ रखे हुए थे। अप्रार्थी संख्या–3 ने बताया कि हनुमानराम ने कट्टों पर लगी मशीन की सिलाई को मजदूरों द्वारा हटवाकर पुनः हाथ से सुतली की सिलवाई करवाई तथा 108 कट्टों को तोलकर ट्रोली में भरवाया, जिनका वजन 53.70 क्विंटल था। इस प्रकार जब्तशुदा गेहूॅ के कट्टों पर एफ.सी.आई. का मार्का एवं गेहूॅ उचित मूल्य दुकानों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवंटित किये जाने वाला गेहूॅ था, जिसको कालाबाजारी में बेचने हेतु एवं ले जाना, राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3(2) का स्पष्ट उल्लंघन होने से ट्रेक्टर मय ट्रोली एवं 108 कट्टे गेहूॅ वजन 53.70 क्विंटल मय बारदाना जब्त किया गया। तथा उक्त जबत शुदा गेहूॅ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जारी परमीट अथवा प्राधिकार पत्र के आधार पर भण्डारण/परिवहन किया जा सकता है, मगर अप्रार्थी संख्या–3 द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूॅ बिना प्राधिकार पत्र के परिवहन करना भी आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। वाहन मालिक, ड्राईवर एवं खलासी जो भी वाहन का उपयोग करते है उनका दायित्व बनता है कि वे पहले यह सुनिश्चित करले कि उनके द्वारा परिवहन की जा रही वस्तु विधिक प्राधिकार पत्र सहित है अथवा नहीं, यदि अवैध रूप से परिवहन किया जाता है तो वो भी अवैध रूप से परिवहन की गई वस्तु के समान रूप से दोषी है, जिसके लिए अप्रार्थीगण अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो जाते है। इस प्रकार परिवहन किया गया उक्त जब्तशुदा गेहूॅ सार्वजनिक वितरण प्रणाली का होना व उक्ट ट्रेक्टर मय ट्रोली से अवैध रूप से परिवहन किया जाना स्पष्टतया साबित है तथा अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र अविश्वसनीय है एवं इस कार्यवाही से बचने के लिए After Thought बनाया हुआ प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर रसद विभाग द्वारा की गई जब्ती की कार्यवाही सही प्रतीत होती है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत जब्तशुदा 108 गेंहूॅ के कट्टे वजन 53.70 क्विंटल मय बारदाना तथा ट्रेक्टर (R.J.-21-R-7683) मय ट्रोली को समपहरण किये जाने के आदेश दिये जाते है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से विकय किये जाने वाले गेहूॅ ले जाने में प्रयुक्त उक्त ट्रेक्टर (R.J.-21-R-7683) मय ट्रोली अभिहरण किये जाने के बदले 2,000/–रूपये (अक्षरे दो हजार रूपये मात्र) के बराबर जुर्माना राशि अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा संदाय किये जाने पर, विकल्प में उन्हे ट्रेक्टर मय ट्रोली को छोड़े जाने के आदेश दिये जाते है तथा इसकी पालना अप्रार्थी संख्या–4 द्वारा इस आदेश के जारी होने के एक माह की कालावधि में असफल रहने की दशा में जब्तशुदा वाहन को खुली नीलामी विकय द्वारा नियमानुसार जुर्माना वसूली हेतु जिला रसद अधिकारी नागौर को अधिकृत किया जाता है। जब्तशुदा गेहूॅ उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से कीमतन वितरण से प्राप्त राशि 36,083/–रूपये (अक्षरे छत्तीस हजार तियांसी रूपये मात्र) चालान संख्या 758 दिनांक 30.07.08 से राज्य कोष में जमा हो चुकी है, उसे राजकीय राशि घोषित की जाती है। निर्णय की प्रति पालनार्थ जिला रसद अधिकारी नागौर को भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.05.26 17:34:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: